भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4878

01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

यूनानी/सिद्ध औषधि केंद्र

4878. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री भोला सिंह:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत यूनानी/सिद्ध केंद्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इन केंद्रों में इलाज कराने वाले रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित/व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार को यूनानी/सिद्ध औषधि केंद्र खोलने के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में अन्य पारंपरिक औषधियों की तुलना में यूनानी/सिद्ध चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय नहीं बना पाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा यूनानी/सिद्ध चिकित्सा पद्धति के नेटवर्क को प्रोत्साहित करने और उसका विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): आयुष मंत्रालय के वार्षिक सांख्यिकीय प्रकाशन- "आयुष इन इंडिया-2020" के अनुसार देश में कार्यशील यूनानी, सिद्ध अस्पतालों और औषधालयों की संख्या, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार **संलग्नक-I** पर दी गई है।

(ख) और (ग): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, यूनानी**,** सिद्ध चिकित्सा केन्द्रों को खोलना तथा इन केन्द्रों में उपचारित रोगियों का अभिलेख रखना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि**,** राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत**,** विभिन्न आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से उपचार प्रदान करने के लिए 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव

प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा, एनएएम के तहत, आयुष मंत्रालय ने उनसे प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार देश में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की 104 इकाइयों को मंजूरी दी है। 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित सूची **संलग्नक-II** पर दी गई है।

(घ) और (ड.): आयुष मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से यूनानी और सिद्ध सहित आयुष पद्धति के संवर्धन एवं विकास के लिए देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। एनएएम अन्य बातों के साथ-साथ यूनानी और सिद्ध सहित आयुष चिकित्सा पद्धति के नेटवर्क को बढ़ावा देने और उसका विस्तार करने के लिए प्रावधान करता है।

i. आयुष्मान भारत के तहत आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा/नए एकल सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/स्थापना।
v. 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
vi. सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति।
vii. आयुष जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम।
viii. राज्य सरकार स्नातकपूर्व एवं स्तानकोत्तर शैक्षणिक संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास।
ix. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
x. व्यवहारगत परिवर्तन संचार (बीसीसी)/सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी)।
xi. आयुष ग्राम।

*****

संलग्नक-I

01.04.2020 तक यूनानी, सिद्ध अस्पतालों और औषधालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूनानी		सिद्ध	
		अस्पतालों की संख्या	औषधालयों की संख्या	अस्पतालों की संख्या	औषधालयों की संख्या
क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
1	आंध्र प्रदेश	2	90	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0
3	असम	0	0	0	0
4	बिहार	1	333	0	0
5	छत्तीसगढ़	1	26	0	0
6	दिल्ली	2	22	0	0
7	गोवा	0	0	0	0
8	गुजरात	0	0	0	0
9	हरियाणा	1	19	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	3	0	0
11	जम्मू और कश्मीर	4	257	0	0
12	झारखंड	0	115	0	0
13	कर्नाटक	28	111	0	1
14	केरल	0	1	1	6
15	मध्य प्रदेश	4	64	0	0
16	महाराष्ट्र	7	24	0	0
17	मणिपुर	3	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0	0
19	मिजोरम	0	0	0	0
20	नागालैंड	0	0	0	0
21	ओडिशा	0	9	0	0
22	पंजाब	1	34	0	0
23	राजस्थान	11	262	0	0
24	सिक्किम	0	0	0	0
25	तमिलनाडु	1	65	289	788
26	त्रिपुरा	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	183	73	0	0
28	उत्तराखंड	3	2	0	0
29	पश्चिम बंगाल	2	8	0	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	2	0	0
32	दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव	0	0	0	0
33	लद्दाख	0	9	0	0

34	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	0	0	0	26
36	तेलंगाना	3	184	0	0
कुल(क)		**257**	**1714**	**290**	**821**
ख सीजीएचएस और केंद्र सरकार के संगठन		8	**34**	6	**38**
कुल(क+ख)		**265**	**1748**	**296**	**859**

स्रोत: "आयुष इन इंडिया-2020" (आयुष मंत्रालय का वार्षिक सांख्यिकीय प्रकाशन)

संलग्नक-II

अनुमोदित 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

क्रम.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्थान**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
		काकीनाडा
3.	असम	गोलपाड़ा
		माजुली
4.	बिहार	पटना
5.	चंडीगढ़	सेक्टर-34, चंडीगढ़
6.	छत्तीसगढ़	चंपा
		महासमुंद
		कोरिया
		कोरबा
		कांकेर
		नारायणपुर
		बीजापुर
		दंतेवाड़ा
7.	गोवा	उत्तर गोवा
		दक्षिण गोवा
8.	हरियाणा	हिसार
9.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
		मंडी
10.	जम्मू और कश्मीर	किश्तवाड़
		कुपवाड़ा
		बिलावर
		कुलगाम
		सांबा
11.	झारखंड	रांची
12.	कर्नाटक	गडग
		मंगलौर
13.	केरल	चलाकुडी, त्रिशूर
		मट्टन्नूर, कन्नूर
14.	लक्षद्वीप	कावरत्ती
15.	महाराष्ट्र	नंदुरबार
		सिंधुदुर्ग
		पुणे
		अहमदनगर

16.	मणिपुर	मोरेह, चंदेल जिला
		चूराचांदपुर
		क्वाकीथेलकोंजेंग लेइकाई
		केइराव एसी, इंफाल पूर्वी जिला
17.	मध्य प्रदेश	भोपाल
		इंदौर
		नरसिंहपुर
		चित्रकूट
		मंडलेश्वर
		बालाघाट
		सीहोर
18.	मेघालय	सोहरा (चेरापूंजे), सीएचसी, पूर्वी खासी हिल्स
		री भोई जिला,
19.	मिजोरम	आइज़वाल
20.	नागालैंड	रज़ा, चेडेमा
		नोकलाक
		सपंग्या (चुंगटिया)
		याकेम, लोंगलेन्ग
21.	ओडिशा	ढेंकनाल
		बेहरामपुर
		बालासोर
22.	पुडुचेरी	यनम
		विलानूर
23.	पंजाब	मोगा
		दयालपुर सोढिया जीरकपुर
24.	राजस्थान	भीलवाड़ा
		अजमेर
		चुरू
		बीकानेर
		जयपुर
		सीकर
25.	सिक्किम	क्योंगसा, ग्यालसिंह, पश्चिम सिक्किम
26.	तमिलनाडु	थेनी
		थिरुवन्नमलाई
		पुदुक्कोट्टई
27.	तेलंगाना	अनंतगिरी, विकाराबाद, रंगारेड्डी जिला
		भूपालपल्ली (वी एंड एम), जयशंकर भूपालपल्ली जिला
		सिद्दीपेट मुख्यालय
28.	त्रिपुरा	पैराडाइज चौमुहानी, अगरतला
		बेलोनिया

		बस्ती
		सिराथू कौशांबी
		सोनभद्र
		उरई जालौन
		संत कबीर नगर,
		सहारनपुर
		देवरिया
		ललितपुर
		कानपुर नगर
		कानपुर देहात
		फिरोजपुर, बलिया जिला
		रायबरेली
29.	उत्तर प्रदेश	बागपत
		फतेहपुर
		श्रावस्ती
		उन्नाव
		बुलंदशहर
		लखनऊ
		वाराणसी
		अमेठी
		बरेली
		हरदोई
		गोरखपुर
		संभल
		हल्द्वानी
30.	उत्तराखंड	जखड़ीधर, टिहरी
		टनकपुर, चंपावत
31.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मिदनापुर
		तापसीखाटा

स्रोतः- एनएएम अनुभाग, आयुष मंत्रालय